

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2021/3933
//कार्यालयीन आदेश//

दिनांक07/04/2021

संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों से स्वीकृत नोटशीट की फोटो कापियाँ होकर विश्वविद्यालय के बाहर जा रही है ऐसा कई प्रकार की शिकायतों से सिद्ध हुआ है कि उसमें नोटशीट की फोटो कॉपी लगी है उक्त कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है एवं गंभीर अपराध है।

अतः कार्यालयीन आदेश जारी कर समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जिस सीट पर संबंधित कर्मचारी को चार्ज है उससे संबंधित पत्रावलियों की फोटोकॉपी कराई जाती है अथवा कार्यालय से बाहर जाती है तो संबंधित के खिलाफ कठोर अनुशासनत्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार




कुलसचिव

प्रति,

संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष /समन्वयक/निर्देशक जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अधिकारी जीवाजी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. समस्त कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक / उपकुलसचिव(प्रशासन)